अच्छे लोकेशन में मकान का फार्म मिल रहा है जल्दी करें

भिलाईनगर। मोर मकान–मोर आस एवं मोर मकान–मोर चिन्हारी योजना अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास का फार्म मिल रहा है। कोई भी परिवार जो किराये में निवास करने वाले, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है, यहां के नागरिक है। उनके पास राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड है, वे मकान के लिए आवेदन कर सकते है। 25 फरवरी को आवास आबंटन के लिए लाटरी नगर निगम मुख्य कार्यालय के सभागार में प्रातः 11 बजे निकाली जायेगी। जो हितग्राही पूर्व से आवेदन किये है, उनके द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कर दिया जायेगा। वे पात्रता की श्रेणी में आयेगें, उन्हे लाटरी द्वारा मकान आबंटित किया जायेगा। ऐसी जानकारी मिली है, कि कुछ लोग दलालो के चक्कर में आकर पूर्व में आबंटित किये गये मकानों को 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में खरीदी ब्रिकी कर निवास कर रहे है। उनके जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान खरीद ब्रिकी करना प्रतिबंधित है। उस मकान का पूरा प्रमाण पत्र पूर्व आबंटिती के नाम से ही रहेगा। बिजली का बिल और संपत्तिकर पुराने व्यक्ति के नाम से ही जमा होगा। जब उतने ही पैसे में नगर निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का नया मकान मिल जायेगा। तो आपस में खरीदी ब्रिकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाले ने सभी नागरिको से आग्रह किया है। कि हम लोग स्वयं मकान का निरीक्षण करने गये थे, बहुत ही अच्छे लोकेशन पर गुणवत्ता पूर्वक मकान बनाया गया है। जहां पर सड़क, बिजली, पानी, शौचालय , किचन के साथ मकान की सुविधा लगभग 3.50 लाख रूपया में मिल जा रहा है। यह मकान कृ ष्णा इंजीनियरिंग के पीछे खम्हरिया, एनार स्टेट खम्हरिया, स्वप्निल बिल्डर्स कुरूद इन जगहो में बने निर्मित मकानो का आबंटन किया जा रहा है। मकान के दिवाल भी स्लैब ढालकर बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह मजबूत है। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर परिवार को अपना खुद का मकान मिले। यह मकान विशेष कर महिलाओ के नाम से ही दिया जा रहा है। जिनके घरों में दिव्यांग, बुर्जुग व्यक्ति निवासरत है, उनको प्राथमिकता के आधार पर भूतल का मकान प्रदान किया जा रहा है। पहले आये पहले पाये मकान लेकर घर बसाये।